संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences
RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014 (INDIA)
Phone (0522)-2668700, 2668800, 2668900 Fax-(0522)- 2668017, 2668129

पत्र संख्या: पी.जी.आई./अधिष्ठान/आर.एस.डी. संख्या 8106 / 2024 / 363 /2025 दिनांक : 25-4-2025

संशोधनादेश

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 11/2024/सा-3-227/10/19099/4/2024 दिनांक 12 जून, 2024 को अंगीकार किये जाने के आदेश संस्थान के कार्यालय आदेश संख्या पी.जी.आई./अधि./आर.एस.डी. संख्या 2331/एफ,भाग-2/612/2024 दिनांक 03.08.2024 के माध्यम से पारित किये गये थे।

उक्त शासनादेश दिनांक 12 जून, 2024 के क्रम में शासनादेश संख्या 30/2024/आई/757690/2024/10-19099/4/2024 दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 द्वारा निम्नवत् स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है -

"दिनांक 30 जून / 31 दिसम्बर को सेवानिवृत होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों को एक वेतनवृद्धि दिये जाने के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 12.06.2024 में प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में स्पष्ट करना है कि प्रकरण से आच्छादित कार्मिकों को उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि प्रदान किये जाने की स्थिति में राशिकरण एवं ग्रेच्युटी भी आगणित होगी तथा अन्तर की धनराशि का भुगतान करने के साथ ही भुगतान किये जाने वाले राशिकरण के अन्तर की धनराशि के भुगतान की तिथि से पेंशन से कटौती की जायेगी। "

शासनादेश दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के प्राविधानुसार दिनांक 30 जून / 31 दिसम्बर के ठीक अगले दिन अर्थात् दिनांक 01 जुलाई / 01 जनवरी को वेतनवृद्धि देय थी, को आहरित वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि प्रदान किये जाने की स्थिति में राशिकरण एवं ग्रेच्युटी भी आगणित होगी तथा अंतर की धनराशि का भुगतान करने के साथ ही भुगतान किये जाने वाले राशिकरण के अंतर की धनराशि के भुगतान की तिथि से पेंशन से कटौती किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

कार्यालय आदेश दिनांक 03.08.2024 के अन्य अंश यथावत् प्रभावी रहेंगे।

(प्रो. राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक

प्रतिलिपि -

1. अपर निदेशक, एस.जी.पी.जी.आई.।
2. कार्यपालक कुलसचिव, एस.जी.पी.जी.आई.।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / चिकित्सा अधीक्षक, एस.जी.पी.जी.आई.।
4. वित्त अधिकारी, एस.जी.पी.जी.आई.।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), एस.जी.पी.जी.आई.।
6. विभागाध्यक्ष, बी.एच.आई. को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त कार्मिकों को सूचना पट्ट के माध्यम से सूचनार्थ।

(प्रो. राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक